3/10/23 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 29.09.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने हेतु पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा दिनांक 14.09.2023 रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध यथास्थिति बनाए रखने तथा बेदखल नही किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पेशी दिनांक 01.12.2023 नियत की गई है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21.09.2023 को पत्रावली को पेशी पर लिया जाकर बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को आधार मानते हुए राजस्व नक्शे अनुसार जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने बाबत बिना प्रार्थी को सुने आदेश निरस्त किये गए है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समख स्वयं की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गयां है एवं उक्त आराजीयात बाबत स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में रहे राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात को मुताबिक शुद्धि पत्र निरस्त योग्य अंकन किया है, अवैधानिक रूप से किए गये आवंटन को निरस्ती बाबत कार्यवाही अपीलांट द्वारा पृथक से सक्षम न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो कि जेरकार है। राजस्व वाद के विचाराधीन रहते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर पारित स्थगन आदेश को बिना किसी आधार के पेशी से पूर्व पत्रावली तलब कर निरस्त किए जाने में न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित किया है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य हैं जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति को कायम नही किया जाता है, तो आक्षेपित आदेश की आड में अपीलांट को उनकी खातेदारी की आरजीयात पर किये गये निर्माण से बेदखल कर उसे ध्वस्त कर दिया जावेगा, जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 451/2023 उनवान हंसराज बनाम कैलाशी में पारित आदेश दिनांक 21.09.2023 की क्रियान्विति को स्थगित कर वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति को कायम रखे जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्य तौर पर अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि उनके पक्ष में अंतरिम रूप से स्थगन आदेश दिया गया था उक्त आदेश को बिना किसी आधार के आगामी पेशी दिनांक से पूर्व ही पत्रावली को तलब कर बिना उन्हें सुने अंतरिम स्थगन आदेश को खारिज कर दिया गया है। उक्त आदेश न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है तथा क्षेत्राधिकार विहिन आदेश है। उपरोक्त आदेश की कियान्विति को स्थगित किया ज़ाए अन्यथा अपीलांट को उसकी स्वयं की आराजी पर किए गए निर्माण से बदखल कर धवस्त कर दिया जाएगा जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक

3/10/2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

21.9.2023 प्रकरण संख्या 451/2023 की कियान्विति को स्थगित कर मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाए।

अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 451/2023 प्रोसिडिंग दिनांक 14.9.2023 दिनांक 21.9.2023 का अवलोकन किया गया। अपीलांट के पक्ष में दिनांक 14.9.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदत्त की गई थी तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 को मौके की यथास्थिति बाबत पाबंद किया गया था। तथा अगली तिथि दिनांक 1.12.2023 को रखी गई थी। दिनांक 21.9.2023 को प्रार्थीया कैलाशी देवी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश को उसी दिन निरस्त करवाने हेतु निवेदन किया तथा इसी प्रार्थना पत्र में मिसल तलब कर न्यायहित में आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन करने पर रेस्पोडेंट सख्या 1 को विवादित भूमि का खातेदार मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.9.2023 को ही निरस्त कर दी गई।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। मुख्य रूप से वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया कि तय दिनांक से पूर्व ही पत्रावली को नियत किया जाकर बिना उन्हें सुने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया गया जो अनुचित हैं। उन्हें सुना जाना चाहिए था। तय तिथि से पूर्व पत्रावली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तभी मंगवाया जा सकता है जबकि विरोधी पक्षकार को उक्त प्रार्थना पत्र की कॉपी दे दी गई हो और उन्हें इस बाबत ज्ञात हो जाए कि न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई कर निर्णय करना चाहता हैं। मगर अधीनस्थ न्यायालय के प्रोसिडिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कॉपी विरोधी पक्षकार या उसके अभिभाषक को बिना उपलब्ध करवाए निर्णय किया गया है। जबकि होना यह चाहिए था कि विरोधी पक्षकार/अभिभाषक की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर बहस सुनकर पूर्व जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट/संशोधित या यथावत रखा जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकार द्वारा बिना विधिक प्रकिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में उक्त आदेश दिया गया था जो उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.9.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटी एक्ट के अंतिम निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय दो सप्ताह में दोनों पक्षों को सुनकर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में इस अवधि में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

03/10/2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner